

आदेश

3/1/22

पत्रावली  
 न्यायालय/अवकाश/अन्य कार्य के लिए पत्रावली  
 दिनांक 12/1/22 को पत्रावली

13/1/22

पत्रावली बंद हुई। आज आभयपक्ष  
 न्यायालय कार्य स्थानतः  
 प्रतः पत्रावली प्रारंभ की जायेगी।  
 दिनांक 15/1/22 को पत्रावली

31/3/22

वकील उभय पक्ष उक्त बहस प्रारंभ पुनः  
 भवसर चाहे पर भिन्न दिनांक 31/3/22  
 को पत्रावली

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र के प्रक्रम पर होने से वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र को कंफर्म किये जाने की आदेशिका पर सहमति प्रदान की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्ष की सहमति होने पर प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम जाखल की सरहद में खसरा नम्बर 185, 765 रकबा क्रमशः 1.24, 0.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्टर भूमि में उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता कि मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मोक़े की यथास्थिति बनाये रखेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील मूल दावे के साथ हमफीता किया जावे। आदेश आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)  
 नवलगाड



Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and the number '142'.